Speed post/Email

भारत सरकार, खान मंत्रालय

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF MINES

भारतीय खान ब्यूरो , क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय- रायपुर

INDIAN BUREAU OF MINES, OFFICE OF REGIONAL CONTROLLER OF MINES, RAIPUR

फोन- 0771–2282530 /2285590 / 95, ईमेल- ro.raipur@ibm.gov.in

फाईल क्र.- दंतेवा/लौह/खयो-1292/2021-रायपुर दिनाक- 24/09/2021

प्रेषिति- मेसर्स एन एम डी सी-सि एम डी सी लिमिटेड (एनसील)
ग्रीन विले सिटी, हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
सेजबहार, बोरिया कला, रायपुर, छत्तीसगढ़ - 492 015
ईमेल- ceonmdccmdc@gmail.com

विषय- खनिज रियायत नियम (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) 2016 के नियम 16(1) एवं खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 23 के अंर्तगत प्रस्तुत निकट ग्राम- बचेली तहसील- बचेली जिला- दक्षिण बस्तर दन्तेवाडा, डिपोजिट न.- 4, छत्तीसगढ़ में स्थित कुल रकबा 646.596 हे खनिज लौह अयस्क की खनन योजना सह उत्तरोत्तर खान बंद करने की योजना की प्रस्तुति।

संदर्भ- 1 आपका पत्र दिनांक 10/08/2021 एवम 22/09/2021.
2. इस कार्यालय का सम्संख्यक पत्र दिनांक 02/09/2021.

महोदय

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम 1957 की धारा 5 की उप धारा 2 के अनुच्छेद (ख) तथा खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम 2016 के नियम 16 के उप नियम 3 एवम नियम 17 सपठित भारत सरकार के आदेश क्रमांक एस.ओ.(ई) दिनांक 18//05/2016 के द्वारा प्रदत अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं एतद द्वारा उल्लेखित खनन योजना का **अनुमोदन** करता हूं। यह **अनुमोदन** निम्नलिखित शर्तो के अधीन हुआ है-

1 इस खनन योजना सह उत्तरोत्तर खान बंद करने की योजना का अनुमोदन केंद्र सरकार अथवा अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा खान पर समय-समय पर लागू किए गए कानूनों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया गया है।

2 दस्तावेज में अथवा प्लेट में दर्शाए गए प्रस्ताव आवेदक पट्टा धारक द्वारा प्रस्तुत लीज नक्शा पर आधारित है तथा प्रस्ताव अनुमोदन की तारीख से लागू है।

3 यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस खनन योजना सह उत्तरोत्तर खान बंद करने की योजना के अनुमोदन में खान एवं खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 या खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम 2016 या और किसी अन्य कानून जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम- 1986, खान अधिनियम 1952 सहित अन्य किन्ही कानूनों के किसी अन्य प्रावधान की शर्तो के अनुसार किसी भी प्रकार से सरकार का अनुमोदन समाविष्ट नहीं है।

4 भारतीय खान ब्यूरो ने भूमि पर खनन पट्टे की सीमा का सत्यापन नहीं किया है अतः आवेदक पट्टा धारक द्वारा प्रस्तुत सटीक एरिया की सीमाओं की सत्यता के संबंध में कोई जिम्मेदारी नहीं ली जाती है।

5 किसी भी अवस्था में यदि यह देखा जाता है कि खनन योजना में दी गई सूचना या दिनांक असत्य अथवा तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया है तो खनन योजना सह उत्तरोत्तर खान बंद करने की योजना का अनुमोदन तुरंत प्रभाव से वापस लेना माना जाएगा।

6 यह अनुमोदन खनन पट्टे की लीज रजिस्ट्रेशन की तिथि से प्रभावी होंगे। यह अनुमोदन लीज अवधि की वैधता के अधीन होगा।

7 **Performance security** की अवधि समाप्ति की दिनांक को अथवा इससे पहले, **Performance security** का वित्तीय आश्वासन राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा ।

8 पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरण मंजूरी , अंतिम पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट **(EIA Report)** की प्रति के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत की जाएगी।

9 माइनिंग लीज डीड की प्रति माइनिंग लीज रजिस्ट्रेशन की तिथि से **15** दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रस्तुत की जाएगी।

संलग्न:- अनुमोदित खनन योजना ।

भवदीय

BABULAL GURJAR
Digitally signed by BABULAL GURJAR
Date: 2021.09.27 18:13:58 +05'30'

(बी. एल. गुर्जर)
क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि ईमेल द्वारा - सुचनार्थ

1 खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो , इंदिरा भवन, सिविल लाईन, नागपुर 440001 -
Email-com.cz@ibm.gov.in

2 संचालक भौमिकी एवम खनिकर्म, छत्तिसगढ इंद्रावती भवन द्वितीय तल डी ब्लोक, केपिट्ल कोम्प्लेक्स , नया रायपुर, छत्तिसगढ- को अनुमोदित खनन योजना की प्रति के साथ प्रेषित है।
Email- dgm.cg@gov.in

3 निदेशक, खान सुरक्षा निदेशालय, सरोज विहार, खामतरई, बिलासपुर, छत्तिसगढ-495006
Email- wz.bspdgms@gmail.com

4 डॉ संजीव कुमार सिन्हा एवम श्री आर. बी. बिहारी प्रधान, कस्टल हिल्स, मसब टैंक, हैदराबाद - 500028
Email- sinhask@nmdc.co.in , rbpradhan@nmdc.co.in

5 खान पत्रावली/ खनन योजना

क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो